

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
**पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 140/2024

1. विक्रम सिंह पुत्र श्री रणवीर सिंह जाति जाट निवासी 2 एनएम, ठाकरवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. अरविन्द कुमार पुत्र श्री रणवीर जाति जाट निवासी 2 एनएम, ठाकरुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री जसवंत सिंह जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सुनील कुमार पुत्र श्री लिछमण राम जाति जाट निवासी 2 एनएम, ठाकरुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. राहुल भादू पुत्र श्री भूप सिंह जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

— वादीगण

—:बनाम:-

1. रणवीर पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी बड़ोपल हाल आबाद 2 एनएम, ठाकरुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. जसवन्त सिंह पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. लिछमण पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी बड़ोपल हालआबाद 2 एनएम, ठाकरुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. भूप सिंह पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. शारदा पुत्री श्री हेतराम पत्नी दलीप जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. विमला पुत्री श्री हेतराम पत्नी अमर सिंह जाति जाट निवासी मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. मिनाक्षी पुत्री भूप सिंह पत्नी श्री सुनील कुमार जाति जाट निवासी 36 एच, नग्गी तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान।
8. सोनू कुमारी पुत्री श्री भूप सिंह जाति जाट निवासी बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
9. शकीला पुत्री श्री लिछमण पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. सविता पुत्री लिछमण पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी 18 एसपीडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
11. अन्नू देवी पुत्री भूप सिंह पत्नी सुनील कुमार जाति जाट निवासी 2 जी.एस.एम., गुडली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
12. ममता पुत्री जसवन्त सिंह जाति जाट निवासी 2 एनएम ठाकरुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
13. अन्जू भादू पुत्री रणवीर भादू जाति जाट निवासी 2 एनएमए, ठाकरुवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
14. मिनाक्षी पत्नी श्री विजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।



सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



15. मरवीन चौधरी पुत्री श्री विजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
16. कुबेर सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
17. कर्णवीर भादू पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी अमरपुरा राठान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

— प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-53 रा.का.अधि. घोषणा एवं खाता विभाजन**

दिनांक :- 25-02-2025

वादीगण की ओर से श्री धनराज सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 की ओर से श्री महेन्द्र सैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उमय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में खाता विभाजन कर निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि:-

(क) प्रतिवादी संख्या 3 (लिछमण) को चक 9 बी.आर.पी. के खाता संख्या 102/97 के प. नं. 35/361 (20) के किला नं. 1/0.238 (दक्षिण दिशा), 2/0.238 (दक्षिण दिशा), 3/0.238 (दक्षिण दिशा), 8, 9/1/0.013, 9/2/0.240, 10, 11, 12/3/0.126, 13/1/0.063 कुल रकबा 1.915 हैक्ट. नाली द्वितीय मय गै.मु. कुआँ सिंचाई खातेदारी कृषि भूमि का काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) वादी (सुनील कुमार) को चक 9 बी. आर. पी. के खाता संख्या 71 के प.नं. 35/361 (20) के किला नं. 13/2/0.190, 18, 23, 24 की 0.949 हैक्ट. नाली द्वितीय व प.नं. 35/362 (27) किला नं. 3/2/0.228 (दक्षिण दिशा), 4/1/0.228 (दक्षिण दिशा), 5/1/0.095, 5/2/0.013, 5/3/0.025, 5/4/0.095 की 0.684 हैक्ट. नाली द्वितीय मय गै. मुखाला रास्ता कुल रकबा 1.633 हैक्ट. नाली द्वितीय मय गै.मुखाला रास्ता का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक 7 बी.आर.पी. के खाता संख्या 106/94 के प.नं. 34/366 (32) के किला नं. 4/1/0.206 (पूर्व दिशा) 4/2/0.025, 5/1/0.202, 5/2/0.051, 6/1/0.228, 6/2/0.025, 7/0.230 (पूर्व दिशा) कुल 0.967 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ग) वादी (राहुल भादू) को चक 9 बी. आर. पी. के खाता संख्या 71/73 के प.नं. 35/361 (20) किला नं. 4/0.238 (दक्षिण दिशा), 5/0.238 (दक्षिण दिशा), 6, 7, 14, 15, 16, 17, 25, में कुल 2.247 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

(घ) प्रतिवादी संख्या 4 (भूप सिंह) को चक 9 बी. आर. पी. के खाता संख्या 71/73 के प. नं. 36/362 (28) के किला नं. 1/0.228, 2/0.228, 3/0.228, 4/0.228, 5/0.228 (प्रत्येक किला की दक्षिण) की 1.140 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि व चक 7 बी.आर.पी. के खाता संख्या 106/94 के प.नं. 34/366 (32) के किला नं. 2/1/0.024 (पूर्व दिशा), 9/0.022 (पूर्व दिशा), 3/1/0.228, 3/2/0.025, 4/1/0.022 (पश्चिम दिशा), 7/0.023 (पश्चिम दिशा), 8/0.253 की 0.597 हैक्ट.

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



नाली द्वितीय व प.नं. 32/365 (29) के किला नं. 16, 24/2/0.025, 25 में कुल 0.531 हैक्ट. इस प्रकार कुल 1.128 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

(ड) वादी (अरविन्द ) को चक 9 बी.आर.पी. के खाता संख्या 71/73 के प.नं. 36/361 (19) के किला नं. 1/0.238 (दक्षिण दिशा), 2/0.238 (दक्षिण दिशा), 3/0.209 (दक्षिण-पश्चिम दिशा), 8/0.224 (पश्चिम दिशा), 9, 10, 11/0.133(उत्तर दिशा), 12/0.133 (उत्तर दिशा), 13/0.123 ( उत्तर-पश्चिम दिशा) कुल रकबा 1.804 हैक्ट. नाली द्वितीय मय गै.मु. खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


(च) वादी (विक्रम सिंह ) को चक 9 बी. आर. पी. के खाता संख्या 71/73 के प.नं. 36/361 (19) के किला नं. 11/0.120 (दक्षिण दिशा), 12/0.120 (दक्षिण दिशा), 13/0.102 (दक्षिण-पश्चिम दिशा), 18/0.225 (पश्चिम दिशा), 19 ता 22, 23/0.225 (पश्चिम दिशा) कुल रकबा 1.804 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(छ) वादी (जितेन्द्र) को चक 9 बी.आर.पी. के खाता संख्या 71/73 के प.नं. 36/361 (19) के किला नं. 3/0.029 (पूर्व दिशा), 4 ता 7, 8/0.029 (पूर्व दिशा), 13/0.028 (पूर्व दिशा), 14 ता 17, 18/0.028 (पूर्व दिशा), 23/0.028, 24, 25 की 2.672 हैक्ट. व प.नं. 37/361 (18) किला नं. 10/0.177, 11, 20, 21 की 0.936 हैक्ट. इस प्रकार कुल रकबा 3.608 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ज) प्रतिवादी संख्या 1 (रणवीर) को चक 9 बी. आर. पी. के खाता संख्या 71/73 के प. नं. 41/362 (33) किला नं. 21/1/0.088, 22, 23/0.0825 (पश्चिम दिशा) कुल 0.4235 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार व चक 7 बी. आर.पी. के खाता संख्या 106/94 के प.नं. 34/366 (32) के किला नं. 1/1/0.025, 1/2/0.216 (पश्चिम दिशा), 10/0.242 (पश्चिम दिशा) कुल 0.483 हैक्ट.नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(झ) प्रतिवादी संख्या 2 जसवन्त सिंह को चक 9 बी.आर.पी. के खाता संख्या 71/73 के प.नं. 41/362 (33) किला नं. 23/0.1705 (पूर्व दिशा), 24/0.253 कुल 0.4235 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि व चक 7 बी.आर.पी. के खाता संख्या 106/94 के प.नं. 34/366 (32) के किला नं. 1/1/0.012 (पूर्व दिशा), 10/0.011 (पूर्व दिशा) 2/1/0.204 (पश्चिम दिशा), 2/2/0.025 (पश्चिम दिशा), 9/0.231 कुल 0.483 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ण) वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को तहसील पीलीबंगा के चक 9 बी. आर. पी. के खाता संख्या 102/97 के प.नं. 35/361 (20) के किला नं. 1/0.015, 2/0.015, 3/0.015, 4/0.015, 5/0.015 (प्रत्येक किला की उत्तर दिशा) कुल 0.075 हैक्ट. प.नं. 35/362 (27) किला नं. 3/1 में कुल 0.013 हैक्ट. गै.मु. रास्ता किला नं. 3/2/0.012, 4/1/0.012, 4/2/0.013, 5/2/0.025 (प्रत्येक किला की उत्तर दिशा) कुल 0.075 हैक्ट. व प.नं. 36/361(19) किला नं. 1/0.015, 2/0.15, 3/0.015 कुल 0.045 हैक्ट. गैर मु. रास्ता व प.नं. 36/362 (28) किला नं. 1/0.025, 2/0.025, 3/0.025, 4/0.


  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



025, 5/0.025 (प्रत्येक किला की उत्तर दिशा) कुल 0.125 हैक्ट. गै.मु.खाला व प.नं. 41/362 (33) किला नं. 21/2 में कुल 0.026 हैक्ट. गै.मु.रास्ता इस प्रकार कुल रकबा 0.346 हैक्ट. रास्ता खाला ब.हि.ब. खातेदारी कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 25-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(अमिता बिश्नोई (आर.टी.ए.स.)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
पीलीबंगा